चीनी मिलों को बकाया चुकाने का आदेश

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 26 मार्च

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बकाया चुकाने में विफल रही निजी चीनी मिलों को 20 अप्रैल 2015 तक गन्ने का बकाया चुकाने का आदेश दिया है।

यह बकाया मौजूदा समय में लगभग 334 करोड़ रुपये पर है और पिछले गन्ना पेराई सत्र 2013-14 से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन चीनी मिलें चलाने वाली मवाना लगभग 194 करोड़ रुपये के बकाये के साथ सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। वहीं दो इकाइयों के साथ मोदी ग्रुप अन्य प्रमुख डिफॉल्टर है जिस पर लगभग 125 करोड़ रुपये का बकाया है। सिंभावली ग्रुप पर भी पिछले पेराई सत्र का बकाया बोझ है।

गन्ना किसानों के बकाये को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च न्यायालय ने इन मिलों से उनका बकाया निपटाने को कहा है, वहीं मवाना ग्रुप के बकाये का सिर्फ एक हिस्सा चुकाने के प्रस्ताव को अगली सुनवाई तक टाल दिया है। यह मामला राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन संयोजक वी एम सिंह द्वारा पिछले साल अदालत में दाखिल कराया गया था और गन्ना बकाया के जल्द निपटान का अनुरोध किया गया था।

5 सितंबर, 2015 को उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 31 अक्टूबर तक गन्ना स्टॉक बेचने और बकाया चुकाने का आदेश दिया था। उस समय निजी मिलों पर 2013-14 का लगभग 4600 करोड़ रुपये का बकाया था। हालांकि तय समय-सीमा पर यह बकाया नहीं चुकाया गया और फिर बाद में सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल की।

Business Standard.
27/3/15